फर्द आहकाम

(नियम 20)

राजस्व सिविल प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2024/446 भजनलाल मांगु कंवर बनाम कंचन कंवर वगैरा
मूल वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख आहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/12/24	वादीया व उनके अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151, 152 सीपीसी पर पत्रावली सुनवाई पर ली गई। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद सं 2022/257 भजनलाल मांगूकंवर बनाम कंचन कवर वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 व तदनुसार जारी डिक्री पर्चा में लिपिकीय भूल से क्रम सं 2 में बतौर सहखातेदार महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/50 का अंकन नही हो पाया। उक्त त्रुटि की वजह से निर्णय पालना नही होने से निर्णय व डिक्री पर्चा में क्रम सं 2 में बतौर सहखातेदार महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/50 अंकन किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्व निर्णीत पत्रावली तलब की गई। पूर्व निर्णीत पत्रावली में दिनांक 09.09.2024 को पारित निर्णय व जारी डिक्री पर्चा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव में क्रम सं 2 में वर्णित सहखातेदार के दूसरी लाईन में महावीर सिह पुत्र भंवर सिह हिस्सा 1/50 का अंकन है, परंतु इस न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2024 को पारित निर्णय व जारी फाईनल डिक्री पर्चा में विभाजन के पश्चात क्रम सं 2 के खातेदारान में महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/50 का अंकन टंकण भूल से रह गया। क्रम सं 2 के सह खातेदारों के हिस्सों का जोड करने पर भी पुरा 1 नही होता है अर्थात 1/50 हिस्सा कम पड़ता है। इस संबंध में धारा 152 सीपीसी के प्रावधानो का अवलोकन किया। 152 निर्णयों, डिक्रीयों या आदेशों का संशोधन– निर्णयो, डिक्रीयों या आदेशो में की लेखन या गणित संबंधित भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमे हुई गलतिया न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। इस प्रकार उक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2024 में लिपिकीय भूल से क्रम सं 2 में महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/50 का अंकन लिपिकीय भूल से नही हुआ है। जिसकों शुद्ध किये जाने का निवेदन वादीया द्वारा किया गया है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली धारा 151, 152 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार प्रकरण में दिनांक 09.09.2024 को पारित निर्णय व तदनुसार जारी डिक्री पर्चा में क्रम सं 2 पर वर्णित सहखातेदारान में महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह हिस्सा 1/50 संशोधन के जरिये अंकन के आदेश दिये जाते है। उक्त आदेश दिनांक 09.09.2024 को पारित निर्णय व जारी डिक्री पर्चा की निरंतरता में माना जावें। आदेश प्रति तहसीलदार बाली व पटवारी हल्का पैरवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र निर्णीत शुमार होकर नंबर से कम होकर पूर्व निर्णीत पत्रावली के संलग्न हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)	

Scanned with CamScanner